

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 169/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

खेताराम वगैरा बनाम होयाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री प्रवीण चौधरी

निर्णय

दिनांक - 25.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बीजराड़ में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी सं. 1 व विप्रार्थी सं. 9 उप.। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा डऊकियों की बस्ती, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 276 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 277 रकबा 00.03 बीघा, खसरा सं. 991/279 रकबा 183.13 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा डऊकियों की बस्ती, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 276 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 277 रकबा 00.03 बीघा, खसरा सं. 991/279 रकबा 183.13 बीघा में भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बीजराड़ में सुनाया गया।



(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1290

प्रार्थीगण :-

1.खेताराम 2.मोहनराम 3.मगाराम 4.हुकमाराम
5.चुतराराम पि.तुलछाराम, जातियान सुथार
निवासी डऊकियों की बस्ती, तहसील चौहटन

दिनांक 4.6.18

विप्रार्थीगण:-

1.शेराराम 2.चिमाराम पि.भारूराम जाति सुथार
3.दमाराम 4.देदाराम 5.डूंगराराम पि.प्रभाराम
6.देदा पुत्र विरधाराम 7.टीकुराम 8.मूलाराम 9.
बांकाराम पि.पेलादराम 10.शोभाराम 11.सुरताराम
12.मगनाराम पि. हरजीराम जाति जाट, निवासी
धारासर 13.गोमाराम 14.हीराराम पि.गंगाराम 15.
देदाराम 16.खीयाराम पि.सुखाराम निवासी डऊकियों
की बस्ती, 17.पन्नीदौवी पत्नि खीयाराम
18.कंवराराम 19.जोगाराम पि.जोधाराम जाति जाट,
निवासी सेवरो की बस्ती, तहसील चौहटन
20.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 169/17

दिनांक : 25.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के मौजा डऊकियों की बस्ती पटवार क्षेत्र बीजराइके खेत खसरा सं. 276 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 277 रकबा 00.03 बीघा, खसरा सं. 991/279 रकबा 183.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे ।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/

प्रतिलिपि :- 1291-94

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण शेराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराइ/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

4-5-18

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन